

राजस्थान सरकार
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा
(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 23/2015 - निगरानी

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति सहाडा जिला भीलवाडा	बनाम	1. श्री शंकर पुत्र भुवाना बैरवा निवासी करणजी की खेडी तहसील सहाडा 2. ग्राम पंचायत सातलियास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सातलियास पंचायत समिति सहाडा जिला भीलवाडा
-निगराकार		- गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :-

1. विभागीय पैरोकार - निगराकार की ओर से
2. गैर निगराकार सं. 01 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही



निर्णय

दिनांक 20.06.2018

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सातलियास ने विपक्षी की ओर से आबादी भूमि में नियम 142 के तहत निलामी से संबंधित भूखण्ड का नक्शा नगर आयोजना अधिकारी से अनुमोदन होना चाहिये था जो नहीं करवाया गया जो विधि विरुद्ध होकर तथाकथित पत्रावली से विक्रय किया गया भूखण्ड सं. 11 निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत सातलियास ने शंकर पुत्र भुवाना बैरवा निवासी करणजी की खेडी के नाम उक्त भूखण्ड निलामी रूपये 32800/- निलामी में छोडी गयी। इस भूखण्ड की निलामी पेटे 5000/- अमानत रसीद संख्या 25 दिनांक 28.01.2008 से जमा है जो भूखण्ड के पेटे समायोजन नहीं किये है। रसीद सं. 36 दिनांक 28.01.2008 से रूपये 2000/- जमा कराये गये जो ग्राम पंचायत की रोकड पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 28 पर दर्ज है। जमा करायी गयी राशि निलामी राशि की 1/4 से कम है। अतः ग्राम पंचायत सातलियास द्वारा नियमों की अनदेखी किये जाने से भूखण्ड निरस्त योग्य हैं। ग्राम पंचायत ने नियम 146 के तहत प्रस्तावित भूखण्ड का स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु ग्राम पंचायत की बैठक मे तीन वार्ड पंचों की कमेटी गठित नहीं किये जाने के बावजूद पंचायत बैठक दिनांक 05.12.2007 की बैठक कार्यवाही में दिनांक 23.11.2007 को मौका निरीक्षण किया जाना बताया गया है। जबकि उक्त भूखण्ड निलामी की पत्रावली की दायर दिनांक भी 23.07.2007 ही है। दूसरी तरफ पत्रावली में संलग्न मौका निरीक्षण पत्र पर मौका निरीक्षण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

दिनांक 17.01.2008 अंकित है, जो कि विरोधाभाषी होकर मिथ्या दस्तावेज संधारित किया जाना प्रमाणित करता है। नियम 148 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड के संबंध में निलामी के निर्णय से पूर्व एक माह का आपत्ति पत्र जारी कर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण करने का प्रावधान है। जिसकी पालना में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 07.01.2008 को आपत्ति पत्र जारी किया गया जबकि एक माह की अवधि गुजरने का इन्तजार किये बगैर आपत्ति जारी करने की दिनांक 07.01.2008 को ही भूखण्ड निलाम किये जाने का निर्णय लिया गया तथा ग्राम पंचायत बैठक में लिये गये निर्णयानुसार निलामी की तिथि दिनांक 28.01.2008 निर्धारित की गयी जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी निलामी सूचना पत्र में निलामी की तिथि व समय अंकित नहीं की गयी है। जिससे सम्पूर्ण भूखण्ड निलामी प्रक्रिया अपारदर्शी होकर भूखण्ड का बेचान पूर्व निर्धारित होना जाहिर होता है। ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड निलामी की सूचना ऐसे समाचार पत्र में प्रकाशित की जानी चाहिये थी जिसकी पहुंच संबंधित ग्राम पंचायत के लोगों तक सूचना आसानी से उपलब्ध हो सके किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा 'सनमून' समाचार पत्र में निलामी सूचना प्रकाशित करायी गयी जो पंचायत क्षेत्र एवं आस पास के गांवों में आता ही नहीं है। जिससे सम्पूर्ण भूखण्ड निलामी प्रक्रिया अपारदर्शी होकर भूखण्ड का बेचान पूर्व निर्धारित होना जाहिर होता है। ग्राम पंचायत द्वारा निलाम किये गये भूखण्ड सं. 11 की निलामी का अनुमोदन निलामी राशि की सीमा के क्षेत्राधिकार संबंधी प्रदत्त शक्तियों के तहत पंचायत समिति की सामान्य बैठक दिनांक 15.02.2008 के प्रस्ताव सं. 06 (4) द्वारा किया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी नहीं किये जाने एवं भूखण्ड बेचान प्रक्रिया विधिसम्मत नहीं होने से विक्रय किया गया भूखण्ड निरस्त योग्य है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार करायी जाकर विपक्षीगण को विक्रय किया गया भूखण्ड नियम विरुद्ध होने से निरस्त कराया जाकर तथाकथित भूखण्ड को संबंधित ग्राम पंचायत को सुपुर्द करने के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 06.07.2015 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये एवं रिकार्ड तलब किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया। जिसके संदर्भ में दिनांक 30.07.2015 को रिकार्ड प्राप्त हुआ। गैर निगराकार सं. 01 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश किये जाते हैं।

निगराकार की ओर से विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि ग्राम पंचायत सातलियास ने विपक्षी की ओर से आबादी भूमि में नियम 142 के तहत निलामी से संबंधित भूखण्ड का नक्शा नगर आयोजना अधिकारी से अनुमोदन होना चाहिये था जो नहीं करवाया गया जो विधि विरुद्ध होकर तथाकथित पत्रावली से विक्रय किया गया भूखण्ड सं. 11 निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत सातलियास ने शंकर पुत्र भुवाना बैरवा निवासी करणजी की खेडी के नाम उक्त भूखण्ड निलामी रूपये 32800/- निलामी में छोडी गयी। इस भूखण्ड की निलामी पेटे 5000/- अमानत रसीद संख्या 25 दिनांक 28.01.2008 से जमा है जो भूखण्ड के पेटे समायोजन नहीं किये है। रसीद सं. 36 दिनांक 28.01.2008 से रूपये 2000/- जमा कराये गये जो ग्राम पंचायत की रोकड पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 28 पर दर्ज है। जमा करायी गयी राशि निलामी राशि की 1/4 से कम है। अतः ग्राम पंचायत



अतिरिक्त जिला कलेक्टर
भीलवाडा (राज.)

सातलियास द्वारा नियमों की अनदेखी किये जाने से भूखण्ड निरस्त योग्य हैं। ग्राम पंचायत ने नियम 146 के तहत प्रस्तावित भूखण्ड का स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु ग्राम पंचायत की बैठक में तीन वार्ड पंचों की कमेटी गठित नहीं किये जाने के बावजूद पंचायत बैठक दिनांक 05.12.2007 की बैठक कार्यवाही में दिनांक 23.11.2007 को मौका निरीक्षण किया जाना बताया गया है। जबकि उक्त भूखण्ड निलामी की पत्रावली की दायर दिनांक भी 23.07.2007 ही है। दूसरी तरफ पत्रावली में संलग्न मौका निरीक्षण पत्र पर मौका निरीक्षण दिनांक 17.01.2008 अंकित है, जो कि विरोधाभासी होकर मिथ्या दस्तावेज संधारित किया जाना प्रमाणित करता है। नियम 148 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड के संबंध में निलामी के निर्णय से पूर्व एक माह का आपत्ति पत्र जारी कर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण करने का प्रावधान है। जिसकी पालना में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 07.01.2008 को आपत्ति पत्र जारी किया गया जबकि एक माह की अवधि गुजरने का इन्तजार किये बगैर आपत्ति जारी करने की दिनांक 07.01.2008 को ही भूखण्ड निलाम किये जाने का निर्णय लिया गया तथा ग्राम पंचायत बैठक में लिये गये निर्णयानुसार निलामी की तिथि दिनांक 28.01.2008 निर्धारित की गयी जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी निलामी सूचना पत्र में निलामी की तिथि व समय अंकित नहीं की गयी है। जिससे सम्पूर्ण भूखण्ड निलामी प्रक्रिया अपारदर्शी होकर भूखण्ड का बेचान पूर्व निर्धारित होना जाहिर होता है। ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड निलामी की सूचना ऐसे समाचार पत्र में प्रकाशित की जानी चाहिये थी जिसकी पहुंच संबंधित ग्राम पंचायत के लोगों तक सूचना आसानी से उपलब्ध हो सके किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा 'सनमून' समाचार पत्र में निलामी सूचना प्रकाशित करायी गयी जो पंचायत क्षेत्र एवं आस पास के गांवों में आता ही नहीं है। जिससे सम्पूर्ण भूखण्ड निलामी प्रक्रिया अपारदर्शी होकर भूखण्ड का बेचान पूर्व निर्धारित होना जाहिर होता है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार करायी जाकर विपक्षीगण को विक्रय किया गया भूखण्ड नियम विरुद्ध होने से निरस्त कराया जाकर तथाकथित भूखण्ड को संबंधित ग्राम पंचायत को सुपुर्द करने के आदेश प्रदान कराया जावे।

निगराकार अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत सातलियास की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व तथ्यों अनुसार विपक्षी की ओर से आबादी भूमि में नियम 142 के तहत निलामी से संबंधित भूखण्ड का नक्शा नगर आयोजना अधिकारी से अनुमोदन होना चाहिये था जो नहीं करवाया गया है। ग्राम पंचायत सातलियास ने शंकर पुत्र भुवाना बैरवा निवासी करणजी की खेडी के नाम उक्त भूखण्ड निलामी रूपये 32800/- निलामी में छोड़ी गयी। इस भूखण्ड की निलामी पेटे 5000/- अमानत रसीद संख्या 25 दिनांक 28.01.2008 से जमा है जो भूखण्ड के पेटे समायोजन नहीं किये है। रसीद सं. 36 दिनांक 28.01.2008 से रूपये 2000/- जमा कराये गये जो ग्राम पंचायत की रोकड पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 28 पर दर्ज है। जमा करायी गयी राशि निलामी राशि की 1/4 से कम है। ग्राम पंचायत ने नियम 146 के तहत प्रस्तावित भूखण्ड का स्थल निरीक्षण नहीं किया गया। नियम 148 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड के संबंध में निलामी के निर्णय से पूर्व एक माह का आपत्ति पत्र जारी कर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण करने का प्रावधान है। जिसकी पालना में ग्राम




पंचायत द्वारा दिनांक 07.01.2008 को आपत्ति पत्र जारी किया गया जबकि एक माह की अवधि गुजरने का इन्तजार किये बगैर आपत्ति जारी करने की दिनांक 07.01.2008 को ही भूखण्ड निलाम किये जाने का निर्णय लिया गया तथा ग्राम पंचायत बैठक में लिये गये निर्णयानुसार निलामी की तिथि दिनांक 28.01.2008 निर्धारित की गयी जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी निलामी सूचना पत्र में निलामी की तिथि व समय अंकित नहीं की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा निलाम किये गये भूखण्ड सं. 11 की निलामी का अनुमोदन नहीं होने पर भी दिनांक 28.01.2008 को गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया गया। जबकि पत्रावली अनुमोदन हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति सहाडा को दिनांक 30.01.2008 को प्रेषित की गयी है। ग्राम पंचायत सातलियास द्वारा पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 142, 146, 148 की पालना नहीं की जाने से सरपंच ग्राम पंचायत सातलियास द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी किया गया आबादी भूमि का पट्टा दिनांक 28.01.2008 निरस्त योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव -

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत सातलियास द्वारा भूमि विक्रय पत्रावली सं. 12 दिनांक 23.11.2007 भूखण्ड सं. 11 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय से तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ ग्राम पंचायत सातलियास एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति सहाडा को प्रेषित की जावे। निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(एल.आर.गुर्गुरवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
भिलवाड़ा (राज.)